

भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमावली, 1990

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 {1934 का 2} की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (ज) में दिये गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

अध्याय I

प्रारंभिक

1. लघुशीर्षक और प्रारंभ

- (1) इस विनियमावली को भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमावली, 1990 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम दिनांक 1 नवंबर 1990 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कोई अन्यथा संदर्भ न हो :-

- (1) "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 {1934 का 2} से है;
- (2) "औसत परिलब्धियाँ" से अभिप्राय कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के पिछले 10 महीनों के दौरान आहरित वेतन के औसत से है;
- (3) "बैंक" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक से है;
- (4) "केन्द्रीय बोर्ड" से अभिप्राय अधिनियम के अधीन गठित बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड से है;
- (5) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय वही है जो भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 में दिया गया है;
- (6) "सेवा निवृत्ति की तारीख" से अभिप्राय उस तारीख से है जिस तारीख को कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है अथवा बैंक द्वारा सेवा निवृत्त किया जाता है अथवा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकार करता है;
- (7) "कर्मचारी" से अभिप्राय बैंक की सेवा में नियुक्त पूर्णकालिक कार्य अथवा साप्ताहिक तेरह घंटों से अधिक अंशकालिक कार्य करने वाले व्यक्ति से है किन्तु इसमें संविदा आधार पर अथवा दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं होंगे;
- (8) "परिवार" से अभिप्राय,
 - {क} पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी तथा महिला कर्मचारी के मामले में पति;
 - {ख} पुत्र या पुत्री (विधवा या तलाकशुदा पुत्री सहित), जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है या उसकी शादी या पुनर्विवाह की तारीख तक या उस तारीख तक जब से वह बैंक द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर तय की गई राशि अर्जित करना शुरू कर देता या देती है, जो भी पहले हो; और इसमें सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए पुत्र या पुत्री के साथ-साथ मरणोत्तर संतान भी शामिल है;
 - {ग} माता-पिता, जो कर्मचारी के जीवित होने के दौरान उसपर पूरी तरह आश्रित थे, बशर्ते दिवंगत कर्मचारी ने अपने पीछे न तो कोई विधवा या विधुर और न ही कोई संतान छोड़ी है और माता-पिता की प्रति माह का उपार्जन बैंक द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर तय की गई राशि से अधिक नहीं है;

(9) "वेतन" में निम्नलिखित शामिल है –

{क} मूल वेतन;

{ख} स्थानापन्न वेतन;

{ग} विशेष वेतन;

{घ} वैयक्तिक वेतन;

{ङ} विशेष वैयक्तिक वेतन;

{च} बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत कोई अन्य परिलब्धियाँ;

(10) "पेंशनभोगी" से अभिप्राय इन विनियमों के अधीन पेंशन के लिए पात्र कर्मचारी से है;

(11) "अर्हता सेवा" से अभिप्राय कार्य पर होने के समय की गयी सेवा अथवा अन्यथा से है जिसकी इन विनियमों के अधीन पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी।

(12) "सेवा निवृत्ति" से अभिप्राय स्टाफ विनियम 26 और समझौते / अधिनिर्णय के अंतर्गत बैंक द्वारा जारी किए गये अन्य अनुदेशों के अनुसरण में सेवा निवृत्ति से है,

(13) "स्टाफ विनियमावली" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 से है।

अध्याय II

प्रयोज्यता और पात्रता

3. प्रयोज्यता

ये विनियम निम्नलिखित को लागू होंगे:-

(1) वे कर्मचारी जो दिनांक 1 नवम्बर 1990 को अथवा उसके पश्चात और 01 जनवरी 2012 से पहले बैंक की सेवा में आते हैं।

(2) दिनांक 1 नवम्बर 1990 को बैंक में सेवारत कर्मचारी, उन कर्मचारियों को छोड़कर, जो बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन विनियमों के अधीन न रहने का विकल्प लिखित रूप में देते हैं।

(3) दिनांक 1 जनवरी 1986 को जो कर्मचारी (सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) सेवारत थे और जो दिनांक 1 नवम्बर 1990 के पहले सेवा निवृत्त हो गये हैं, बशर्ते कि वे इन विनियमों के अधीन रहने का विकल्प देते और इसके लिए निर्धारित अवधि के भीतर, भविष्य निधि पर बैंक के अंशदान कि राशि को उस पर अर्जित ब्याज के साथ, उक्त राशि के आहरण कि तारीख से उसके पुनः भुगतान कि तारीख तक 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित लौटा देते हैं। विनियम 31 के अनुसार उन्हें पेंशन देय होगा।

4. पात्रता

पूर्णकालिक कर्मचारी और प्रति सप्ताह तेरह घंटे से अधिक अंशकालीन कार्य करने वाले अंश कालिक कर्मचारी को, सेवा निवृत्ति के पश्चात, पेंशन लागू होगा, बशर्ते कि उन्होने न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो। सेवारत कर्मचारी कि मृत्यु कि स्थिति में, न्यूनतम सेवा कि अपेक्षा परिवार पेंशन का आहरण करने के लिए लागू नहीं होगी।

5. इन विनियमों को लागू करने के मामले में, भारत सरकार के सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स अथवा लिबरलाइज्ड पेंशन रुल्स अथवा सिविल पेंशन्स(कम्यूटेशन) रुल्स अथवा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना के तदनुसूची उपबंधों की, यथास्थिति जहाँ तक वे बैंक में सेवा के लिए अनुकूल ठहराए जा सकते हैं, ध्यान में रखा जाए, किन्तु ऐसे अपवादों और आशोधनों के अधीन जो बैंक समय-समय पर निर्धारित करे।

अध्याय III

सामान्य शर्तें

6. भविष्य में अच्छे आचरण की शर्त पर पेंशन

{1}(क) पेंशन का प्रत्येक अनुदान और इन विनियमों के अधीन उसके जारी बने रहने में, भविष्य में अच्छे आचरण को रखना एक अंतर्निहित शर्त होगी।

(ख) यदि पेंशनभोगी कर्मचारी किसी गंभीर अपराध अथवा भारी कदाचार के अपराध में दोषी पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में आदेश देकर, स्थायी रूप में अथवा किसी निर्धारित अवधि के लिए पेंशन अथवा उसके एक भाग को रोक सकते हैं अथवा वापस ले सकते हैं; बशर्ते कि जहाँ पर पेंशन का एक भाग रोक लिया जाता है अथवा वापस लिया जाता है, वहाँ पेंशनभोगी द्वारा आहरित की जानेवाली पेंशन की राशि पूर्ण कालिक कर्मचारी के मामले में रू. 9,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी और अंश कालिक कर्मचारी के मामले में उनपर लागू मजदूरी की दर के संदर्भ में उसकी समानुपातिक राशि होगी।

{2} जहाँ पर पेंशनभोगी विधि न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी पाया जाता है वहाँ इस प्रकार के अपराध के संबंध में न्यायालय के न्याय के परिप्रेक्ष्य में उप नियम {1} के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

{3} उप-विनियम (2) के अधीन न आनेवाले मामले में, यदि उप विनियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी यह मानते हैं कि पेंशनभोगी प्रथम दृष्टया भारी कदाचार का दोषी है, तब उप विनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने से पहले वे,

(क) पेंशनभोगी को उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई और किस आधार पर कार्रवाई की जानी है इसका उल्लेख करते हुए एक सूचना दे सकते हैं, और सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसी प्रकार की पंद्रह दिनों से अनधिक और अवधि के लिए इस प्रकार के अभ्यावेदन को, जो वह प्रस्ताव के विरुद्ध देना चाहता है, अनुमत कर सकते हैं और

(ख) खंड (क) के अधीन पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखें।

{4} जहां उप-विनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी गवर्नर हो, वहाँ गवर्नर के ऐसे आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय बोर्ड से अपील की जा सकेगी, जिसका आदेश बाध्यकारी होगा।

{5} गवर्नर के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उप-विनियम (1) के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील गवर्नर को की जाएगी और गवर्नर केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से अपील के संदर्भ में उचित आदेश पारित करेंगे।

7. पेंशन रोक रखने अथवा वापस लेने का बैंक का अधिकार

यदि किसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के दौरान यह उजागर होता है कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुनर्नियोजन की अवधि सहित अपनी सेवा अवधि के दौरान पेंशनभोगी किसी ऐसे घोर कदाचार अथवा अक्वेलना का दोषी है, जिसके फलस्वरूप बैंक को वित्तीय क्षति पहुंची हो, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे पेंशनभोगी की पेंशन अथवा उसके किसी अंश को स्थायी आधार पर अथवा किसी विशिष्ट अवधि हेतु अवरुद्ध कर सकता है अथवा

वापस ले सकता है तथा उक्त क्षति की पूरी अथवा आंशिक भरपाई हेतु वसूली के आदेश जारी कर सकता है, बशर्ते, किसी भी तरह के अंतिम आदेश जारी करने से पहले केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श लिया जाएगा।

बशर्ते, यह कि यदि ऐसी विभागीय जांच कार्यवाही कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान शुरू की गई हो, फिर भले ही उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा पुनर्नियोजन के दौरान की गई हो, तो कर्मचारी की अंतिम तौर पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् यह माना जाएगा कि उक्त कार्यवाही इस नियम के अधीन ही की गई है तथा कार्यवाही उस अधिकारी द्वारा ही जारी रखी जाएगी और समाप्त की जाएगी जिसने उसे प्रारम्भ किया हो एवं उसे संचालित करने का तौर-तरीका भी वहीं रहेगा जो कर्मचारी के सेवा में जारी रहने की स्थिति में अपनाया जाता। बशर्ते, आगे यह भी, कि यदि कर्मचारी के सेवारत रहने के दौरान कोई विभागीय अथवा न्यायिक जांच प्रारम्भ नहीं की गई हो, तो 4 वर्ष से ज्यादा अवधि के पहले कार्रवाई का औचित्य सिद्ध होने अथवा घटना घटित होने के संबंध में कोई भी विभागीय अथवा न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन में से वित्तीय क्षति की वसूली के आदेश जारी किये जाएं, वहां सामान्यतः कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तिथि को उसे अनुमत पेंशन राशि की एक तिहाई राशि से ज्यादा दर पर वसूली नहीं की जाएगी बशर्ते जिन मामलों में आंशिक पेंशन अवरुद्ध की जाती है अथवा वापस ली जाती है, वहां पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में कम पेंशन की राशि 9,000/- रुप्रतिमाह से . कम नहीं होगी तथा अंशकालिक कर्मचारी के मामले में उक्त राशि उस पर लागू वेतन दरों के मुकाबले समानुपातिक दर पर होगी।

8. (i) जो कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अथवा अन्यथा सेवा निवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है या जहाँ विभागीय कार्यवाही अनिर्णीत है, वहाँ उस कर्मचारी को स्वीकार्य किए जा सकने वाले अधिकतम पेंशन के समकक्ष अनन्तिम पेंशन अनुमत किया जाएगा, जो कि उक्त कार्यवाही की समाप्ति पर उसे स्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति लाभों पर समायोजन की शर्त पर होगा; किन्तु जहाँ अंतिम रूप में स्वीकृत पेंशन अन्तिम पेंशन से कम है या जहाँ पेंशन स्थायी रूप में अथवा एक विशिष्ट अवधि के लिए कम किया जाता है अथवा रोक लिया जाता है वहाँ वसूली नहीं की जाएगी।

(ii) ऐसे मामलों में इस प्रकार के कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही की समाप्ति होने तक उपदान नहीं दिया जाएगा। कार्यवाही के निर्णय अथवा कर्मचारी से ली जाने वाली किन्हीं वसूलियों की शर्त पर, कार्यवाही की समाप्ति पर उसे उपदान दिया जाएगा।

9. यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले प्रारंभ हुई है अथवा किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद इस प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, वह इस प्रकार की कार्यवाही का निर्णय होने तक की अवधि के दौरान, यथास्थिति, इन विनियमों के विनियम 8 के अंतर्गत प्राधिकृत अपनी अनन्तिम पेंशन के हिस्से को रूपांतरित करने के लिए पात्र नहीं होगा।

10. सेवा निवृत्ति पर वाणिज्यिक नौकरी

यदि कोई पेंशनभोगी, स्टाफ विनियमावली 37ए के अंतर्गत बैंक की पूर्वानुमति के बिना वाणिज्यिक नौकरी करता है अथवा किसी वाणिज्यिक नौकरी के लिए उसको प्रदान की गई अनुमति की किसी शर्त को भंग करता है तो लिखित में आदेश के जरिए और उसमें अभिलेखित किए जानेवाले कारणों के लिए बैंक यह घोषित करने में सक्षम होगा की वह, आदेश मे यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए समग्र अथवा पेंशन के इसप्रकार के भाग के लिए हकदार नहीं होगा, बशर्ते कि कर्मचारी को ऐसे घोषणापत्र के विरुद्ध कारण दर्शाने के अवसर दिये बिना आदेश नहीं दिया जाएगा।

खण्ड - IV

अर्हता सेवा

11. अर्हता सेवा का प्रारंभ

इन विनियमों के परन्तुकों की शर्त पर, कर्मचारी कि अर्हता सेवा, उसके पद के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी, जिस पर वह मूल रूप में अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता है, बशर्ते की स्थानापन्न अथवा अस्थायी सेवा उक्त अथवा दूसरे पद पर मूल सेवा नियुक्ति से बिना किसी बाधा के की जाती है।

12. एक वर्ष से कम सेवा की खंडित अवधि

यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि में एक वर्ष से कम सेवा की खंडित अवधि सम्मिलित है तो यदि उक्त खंडित अवधि छः महीनों से अधिक है तो उसे एक वर्ष के रूप में माना जाएगा और यदि उक्त खंडित अवधि छः महीनों से कम है तो उसे ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

13. परिवीक्षाधीन सेवा की गणना

किसी पद पर परिवीक्षाधीन सेवा, यदि उसी पद अथवा दूसरे पद पर स्थायीकरण के जरिए की जाती है तो अर्हक होगी।

14. सैनिक सेवा की गणना

किसी कर्मचारी ने बैंक के नियुक्ति के पूर्व सैनिक सेवा की है तो वह निम्नलिखित के लिए अपना विकल्प दे सकता है:

(क) सैनिक पेंशन आहरित करना चालू रखें, ऐसे मामले में उसकी भूतपूर्व सैनिक सेवा अर्हता सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएगी, अथवा

(ख) अपना पेंशन आहरित करना समाप्त करें और पुनः नियुक्ति पर पहले ही आहरित पेंशन और सैनिक पेंशन के भाग के रूपांतरण के लिए प्राप्त मूल्य वापस करें और सैनिक सेवा की गणना अर्हता सेवा के रूप में करें बशर्ते कि (i) बैंक में नियुक्ति की तारीख के पहले आहरित पेंशन वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी और (ii) पेंशन का अंश जिस पर उसके वेतन निर्धारण के लिए ध्यान नहीं दिया गया था, उसे वापस करना होगा।

15. छुट्टी पर व्यतीत की गयी अवधि की गणना

सेवा के दौरान सभी छुट्टी जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है और चिकित्सा प्रमाणपत्र पर प्रदान की गयी सभी असाधारण छुट्टी को यदि किसी अन्यथा रूप में निर्णय नहीं लिया गया है तो, अर्हता सेवा के रूप में गिना जाएगा।

बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाणपत्र पर प्रदान की गयी असाधारण छुट्टी से अन्य असाधारण छुट्टी के मामले में, सक्षम प्राधिकारी, इस प्रकार की छुट्टी प्रदान करते समय, उस छुट्टी की अवधि को अर्हता सेवा के रूप में गिनने के लिए अनुमति दें यदि किसी कर्मचारी को इस प्रकार की छुट्टी निम्न कारणों से प्रदान की गयी हो:

(i) नागरिक उपद्रव के कारण कार्य पर उपस्थित अथवा पुनः उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के कारण, अथवा

(ii) बैंक द्वारा अनुमोदित उच्चतर अध्ययन करने के लिए।

16. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गयी अवधि

किसी कर्मचारी की नियुक्ति के तुरंत पहले बैंक में प्रशिक्षण पर व्यतीत की गयी अवधि को अर्हता सेवा के रूप में गिना जाएगा।

17. निलंबन की अवधि

जाँच का निर्णय होने तक किसी कर्मचारी की निलंबन की अवधि अर्हता सेवा के लिए गिनी जाएगी जहाँ इस प्रकार की जाँच की समाप्ति पर उसे पूर्णतः निर्दोष ठहराया जाता है और अन्य मामलों में निलंबन की अवधि नहीं गिनी जाएगी बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित नहीं करते हैं कि उसे अर्हता सेवा के रूप में गिना जाए।

18. पदत्याग अथवा पदच्युति अथवा सेवा समाप्ति पर सेवा का समपहरण

किसी कर्मचारी का सेवा से पदत्याग अथवा पदच्युति अथवा सेवा समाप्ति, उसके समग्र पूर्व सेवा के समपहरण के लिए आवश्यक होगी और इसके परिणामस्वरूप वह पेंशन के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा।

19. विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि

यूनाइटेड नेशन्स अथवा किसी अन्य विदेशी निकाय अथवा संगठन में विदेश सेवा पर प्रतिनियुक्त कोई कर्मचारी अपने विकल्प पर-

(i) अपनी विदेश सेवा के संबंध में पेंशन अंशदान का भुगतान करे और उक्त सेवा को इन विनियमों के अंतर्गत अर्हता सेवा के रूप में माने, अथवा

(ii) विदेशी नियोक्ता के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त करे और उक्त सेवा को इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए अर्हता सेवा के रूप में न माने बशर्ते कि जहाँ कोई कर्मचारी खण्ड (ii) के लिए विकल्प देता है, तो कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया पेंशन अंशदान, यदि कोई हो तो, कर्मचारी को वापस लौटाया जाए।

20. भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि

किसी कर्मचारी की भारत में दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि, अर्हता सेवा के रूप में मानी जाएगी बशर्ते कि संगठन अथवा कर्मचारी पेंशनरी अंशदान का भुगतान बैंक को करता हो।

21. भारतीय रिजर्व बैंक में प्रतिनियुक्ति की अवधि

किसी अन्य संगठन से रिजर्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी, जिसे बाद में रिजर्व बैंक की सेवा में अंतर्लपित किया गया है, की पहले की सेवा को तब अर्हता सेवा के रूप में गिना जाए यदि कर्मचारी अपने पहले के नियोक्ता से उसके द्वारा आहरित सेवा निवृत्ति लाभ की राशि, भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष छः प्रतिशत साधारण ब्याज के सहित बैंक को अदा करता है।

22. सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी

सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी को अर्हता सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा और सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान पेंशन देय नहीं होगा। कर्मचारी नीचे लिखे अनुसार चयन कर सकेंगे:

(क) एक तो सेवा निवृत्ति पूर्व संचित छुट्टी की समग्र अवधि का नकदीकरण करें और अधिवर्षिता की तारीख के बाद पहले महीने से पेंशन आहरित करें (यदि सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी उस महीने के प्रारंभ से शुरू होती है), अथवा

(ख) पूर्ण किए हुए महीनों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी ले लें और एक महीने से कम की सेवा निवृत्ति पूर्व खंडित अवधि का नकदीकरण करें ताकि अनुवर्ती महीने की पहली तारीख से पेंशन आहरित कर सकें।

23. विशेष परिस्थितियों में अर्हता सेवा में जोड़

(1) बैंक के विवेकानुसार कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन के किसी अन्य श्रेणी के लिए नहीं) के लिए अपनी अर्हता सेवा में जोड़ के लिए अपनी सेवा की अवधि के एक चतुर्थांश से अनधिक वास्तविक अवधि अथवा ऐसी वास्तविक अवधि जिसके अनुसार भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्षों से अधिक हो अथवा पाँच वर्षों की अवधि, जो भी कम हो, के लिए पात्र होगा यदि सेवा अथवा पद जिसमें कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है उसमें -

(क) स्नातकोत्तर अनुसंधान, अथवा विशेषज्ञ अर्हता अथवा वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुभव आवश्यक हो; और

(ख) सामान्यतः पच्चीस वर्षों से अधिक वर्ष की आयु के उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है।

बशर्ते की यह रियायत कर्मचारी को तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक बैंक की सेवा छोड़ते समय उसकी अपनी वास्तविक अर्हता सेवा दस वर्षों से कम न हो।

स्पष्टीकरण

यह रियायत केवल आयु में छूट के आधार पर पच्चीस वर्षों से अधिक आयु में बैंक में भर्ती किए गए कर्मचारी को उपलब्ध नहीं होगी।

(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसे पैंतीस वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु में भर्ती किया जाता है, वह अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर, पेंशन के लिए अपने अधिकार को छोड़ने का चयन कर सकता है जिसपर वह अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए पात्र होगा।

(3) उप विनियम (2) में उल्लिखित एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

अध्याय V

पेंशन की श्रेणियाँ और उसके अनुदान को विनियमित करने की शर्तें

24. अधिवर्षिता पेंशन

अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा जो अधिवर्षिता की आयु में सेवा निवृत्त होता है। बशर्ते की पेंशन सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान देय नहीं होगा।

25. अवधि पूर्व सेवा निवृत्ति पेंशन

(1) अवधिपूर्व सेवा निवृत्ति पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा जिसे बैंक द्वारा सेवा निवृत्त किया जाता है अथवा जो स्टाफ विनियमावली के विनियम 26 के अनुसार स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होता है।

(2) { हटाया गया}

(3) { हटाया गया}

(4) सेवा निवृत्तिपूर्व छुट्टी की अवधि के दौरान कोई पेंशन देय नहीं होगा।

26. अवैध पेंशन

(1) यदि कोई कर्मचारी किसी शारीरिक अथवा मानसिक कमजोरी के कारण, जिससे वह सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ बन गया है, सेवा निवृत्त होता है तो उसे अवैध पेंशन प्रदान किया जाए।

(2) जो कर्मचारी अवैध पेंशन के लिए आवेदन करता है उसे बैंक के चिकित्सा अधिकारी से असमर्थता का एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(3) जहाँ बैंक के चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी को जो काम वह करता है उससे कम परिश्रम के स्वरूप की और सेवा के लिए उपयुक्त घोषित करता है, उसे निम्नतर पद पर, बशर्ते कि वह उस पद पर नियुक्त किए जाने के लिए इच्छुक हो, नियुक्त किया जाएगा और यदि उसे निम्नतर पद पर नियुक्त करने के कोई साधन नहीं हैं तो उसे अवैध पेंशन दिया जाए।

27. अनुकंपा भत्ता

(1) बैंक का कोई कर्मचारी जिसे सेवा से पदच्युत किया जाता है अथवा जिसकी सेवा समाप्त की जाती है वह अपनी पेंशन से वंचित होगा।

बशर्ते कि सेवा से पदच्युत अथवा सेवा समाप्त करनेवाले सक्षम प्राधिकारी, यदि मामला विशेष महत्व का हो तो, पेंशन के दो-तिहाई से अनधिक अनुकंपा भत्ता स्वीकृत करें जो उसे अन्यथा रूप में स्वीकार होता।

(2) उप विनियम (1) के परन्तुक के अंतर्गत स्वीकृत अनुकंपा भत्ता पूर्ण कालिक कर्मचारी के मामले में रु. 9,000/- प्रतिमाह की राशि से कम नहीं होगा और अंशकालिक कर्मचारी के मामले में लागू मजदूरी की दर के संबंध में उसके समानुपातिक होगा।

28. पेंशन की दर

मूल पेंशन की दर औसत परिलब्धियों अथवा अंतिम आहरित वेतन, जो भी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हो, का पचास प्रतिशत होगी बशर्ते कि वह पूर्ण कालिक कर्मचारी के मामले में न्यूनतम रु. 9,000/- प्रतिमाह और अंश कालिक कर्मचारी के मामले में स्वीकार्य मजदूरी की दर के संबंध में उसकी समानुपातिक राशि होगी। बीस वर्षों की सेवा पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक होगी। किसी कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवा 20 वर्षों से कम होती है, पेंशन, अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के लिए समानुपातिक आधार पर देय होगी।

29. पेंशन पर महँगाई राहत

महँगाई राहत बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर प्रदान की जाएगी। महँगाई राहत रूपांतर के बाद भी पूर्ण मूल पेंशन पर अनुमत की जाएगी।

30. रूपांतरण

पेंशनभोगी उसकी स्वीकार्य पेंशन के एक-तिहाई के अधिकतम तक रूपांतरित कर सकता है। इस प्रकार का पेंशनभोगी पेंशन के दो-तिहाई हिस्से के लिए हकदार होगा। पेंशन का रूपांतरित हिस्सा, रूपांतरण की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के पश्चात पुनर्नियोज्य होगा। रूपांतरण की पद्धति इसके साथ संलग्न तालिका के अनुसार होगी। यदि रूपांतरण सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ष के बाद माँगा जाता है तो वह बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा जाँच होने पर ही प्रदान किया जाएगा।

31. ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान जो 1 जनवरी 1986 और 31 अक्टूबर 1990 के बीच सेवा निवृत्त हुए हैं।

जो कर्मचारी 1 जनवरी 1986 को अथवा उसके बाद और 1 नवम्बर 1990 के पहले बैंक की सेवा से सेवा निवृत्त हुए हैं वे विनियम 22 के अधीन 1 नवम्बर 1990 अथवा सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी की समाप्ति के बाद से पेंशन के लिए पात्र होंगे। पेंशन का भुगतान, बैंक से उन्हें प्राप्त भविष्य निधि पर बैंक के अंशदान को ब्याज सहित लौटने की शर्त पर होगा जो की आहरण की तारीख से पुनः भुगतान की तारीख तक छः प्रतिशत प्रति वर्ष कि दर पर साधारण ब्याज के साथ होगा। ऐसे कर्मचारियों को विधिवत चिकित्सा जाँच के बाद, 1 नवम्बर 1990 से अपनी पेंशन के रूपांतरण के लिए भी अनुमत किया जाएगा।

अध्याय VI

परिवार पेंशन

32. परिवार पेंशन

(1) उप विनियम (3) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कर्मचारी निम्न स्थितियों में मरता है –

(क) लगातार सेवा के एक वर्ष को पूर्ण करने के बाद,

अथवा

(कक) लगातार सेवा के एक वर्ष के पूर्ण होने के पहले बशर्ते कि संबंधित मृत कर्मचारी की सेवा में अथवा पद पर नियुक्ति के तुरंत पहले बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी जाँच की गई थी और नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था, अथवा

(ख) सेवा से सेवा निवृत्त होने के बाद और मृत्यु की तारीख को वह पेंशन अथवा अनुकंपा भत्ते की प्राप्ति की स्थिति में था,

तो मृत कर्मचारी का परिवार, पेंशन के लिए हकदार होगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम में जहाँ कहीं “लगातार सेवा का एक वर्ष” आता है वहाँ उसका अर्थ खंड (कक) में यथा परिभाषित लगातार सेवा के एक वर्ष से कम होगा।

(2) परिवार पेंशन की राशि मासिक दरों पर निर्धारित की जाएगी और पूर्ण रूपों में दी जाएगी और जहाँ परिवार पेंशन में एक रूप का अंश होगा वहाँ उसको अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा;

बशर्ते की परिवार पेंशन के किसी भी मामले में अधिकतम से अधिक को अनुमत नहीं किया जाएगा।

(3) जहाँ कर्मचारी मृत्यु के समय लगातार सेवा के 7 वर्ष पूर्ण करता है, वहाँ परिवार पेंशन का भुगतान, अंत में आहरित वेतन के 50% अथवा परिवार पेंशन की सामान्य दर की दुगुनी राशि, जो भी कम हो, तक किया जाए, बशर्ते कि कर्मचारी कामगारों के क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत नहीं आता था। यदि कर्मचारी कामगारों के क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आता है तो परिवार पेंशन, अंत में आहरित वेतन के 50% अथवा परिवार पेंशन की सामान्य दर की 1½ गुनी राशि तक, जो भी कम हो, होना चाहिए। इस उच्चतर दर पर पेंशन 7 वर्षों की अवधि के लिए अथवा मृत कर्मचारी, यदि वे सेवा में होते तो जब वे 67 वर्षों की आयु पूरी करते तब तक के लिए, जो भी कम हो, देय है।

बशर्ते यदि कर्मचारी की मृत्यु 22 मई 1998 से पहले हो जाती है, तो इस उच्च दर पर परिवार पेंशन 7 वर्ष की अवधि के लिए या दिवंगत कर्मचारी के जीवित रहने पर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी कम हो, देय होगी;

(4) सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में, परिवार पेंशन, परिवार पेंशन की सामान्य दर की दुगुनी राशि तक या अंतिम रूप में आहरित वेतन के 50% की दर पर, जो भी कम हो, और मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अथवा मृत कर्मचारी जब 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, जो भी कम हो, देय होगा, बशर्ते की उपरोक्त के अनुसार बढ़ायी गई परिवार पेंशन की राशि, सेवा निवृत्ति पर स्वीकार्य सामान्य पेंशन से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते यदि कर्मचारी की मृत्यु 22 मई 1998 से पहले हो जाती है, तो इस उच्च दर पर परिवार पेंशन 7 वर्ष की अवधि के लिए या दिवंगत कर्मचारी के जीवित रहने पर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी कम हो, देय होगी।

(5) 01 मार्च 2019 से, परिवार पेंशन की सामान्य दर एक समान रूप से वेतन का 30% होगी, लेकिन यह न्यूनतम ₹ 9,000/- प्रति माह और अधिकतम बैंक में प्रति माह उच्चतम वेतन का 30% होगी।

स्पष्टीकरण

अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि, लागू मजदूरी की दर के अनुपात में होगी ;

(6) परिवार पेंशन जारी रहने की अवधि निम्नानुसार रहेगी ।

(क) विधवा अथवा विधुर के मामले में (में मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो;

(ख) पुत्र के मामले में, जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या जब तक वह बैंक द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर तय की गई राशि अर्जित करना शुरू नहीं कर देता, जो भी पहले हो;

(ग) अविवाहित पुत्री के मामले में, जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या जब तक वह बैंक द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर तय की गई राशि अर्जित करना शुरू नहीं कर देती, जो भी पहले हो;

(घ) विधवा या तलाकशुदा पुत्री के मामले में, जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती या जब तक वह बैंक द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर तय की गई राशि अर्जित करना शुरू नहीं कर देती, जो भी पहले हो;

(ङ) आश्रित माता-पिता के मामले में, मृत्यु की तारीख तक;

बशर्ते यदि किसी कर्मचारी का पुत्र अथवा पुत्री किसी मानसिक रुग्णता अथवा विकलांगता में ग्रस्त हो अथवा शारीरिक रूप से अपंग अथवा असमर्थ होने की वजह से आजीविका कमाने में समर्थ नहीं हो, तो इस संबंध में बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को जीवन भर के लिए परिवार पेंशन देय होगी ।

(7) (क) किसी भी समय किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य को परिवार (पेंशन नहीं दी जाएगी ।

(ख) यदि मृत कर्मचारी अथवा (पेंशनभोगी की विधवा विधुर जीवित हो, तो परिवार पेंशन, उक्त विधवा अथवा विधुर को देय होगी, अन्यथा पात्र बच्चे को ।

(ग) बच्चों को परिवार (पेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम में किया जाए तथा उनमें कम उम्र वाला परिवार पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उससे ज्येष्ठतर बच्चा परिवार पेंशन पाने के लिए अपात्र नहीं हो जाता ।

(घ) परिवार पेंशन पात्र आश्रित माता-पिता में से किसी एक को देय होगी;

(8) जहाँ मृत बैंक कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी एक से अधिक बच्चों को छोड़ता है, वहाँ सबसे बड़ा पात्र बच्चा, इस विनियम के उप-विनियम (6) के खंड (ख) अथवा खंड (ग), यथास्थिति, में उल्लिखित अवधि के लिए परिवार पेंशन के लिए हकदार होगा और उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अगला बच्चा परिवार पेंशन प्रदान किए जाने के लिए पात्र बनेगा।

(9) जहाँ परिवार पेंशन इस विनियम के अंतर्गत किसी नाबालिग को प्रदान किया जाता है, वहाँ उक्त पेंशन नाबालिग की ओर से उसके अभिभावक को देय होगा।

(10) यदि पत्नी और पति दोनों ही बैंक के कर्मचारी हैं और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन हैं और उनमें से एक सेवा में रहते हुए अथवा सेवा निवृत्ति के बाद मर जाता है, तो मृत के मामले में परिवार पेंशन उत्तरजीवी पति अथवा पत्नी को देय होगा और पति अथवा पत्नी की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी बच्चा अथवा बच्चों को, बैंक द्वारा यथा निर्धारित सीमाओं की शर्त पर, मृत माता-पिता के संबंध में दो परिवार पेंशन प्रदान किए जाएंगे।

33. पेंशनभोगियों की मूल पेंशन

1 मार्च 2019 से प्रभावी होते हुए, 31 अक्टूबर 2012 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की मूल पेंशन को 2002, 2007 और 2012 में प्रभावी हुए तीनों वेतन पुनरीक्षणों में, प्रत्येक में, पेंशन एवं महंगाई भत्ते के योग में 10% की दर से कल्पित वृद्धि की गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, अर्थात:-

तालिका

क्र.सं.	सेवानिवृत्त स्टाफ की श्रेणी	पुनरीक्षित पेंशन के कल्पित निर्धारण के लिए मौजूदा मूल पेंशन पर गुणन कारक		
(1)	(2)	(3)		
		1.11.2002 की स्थिति के अनुसार (क)	1.11.2007 की स्थिति के अनुसार (ख)	1.11.2012 की स्थिति के अनुसार (ग)
1.	1.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्टाफ क) 1.1.86 से 31.10.87* ख) 1.11.87 से 31.10.92* ग) 1.11.92 से 31.10.97* घ) 1.11.97 से 31.10.02 तक सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगी (*पेंशनभोगी जिनकी पेंशन न्यायालय के आदेश के अनुसार अद्यतन की गई है) (उदाहरणार्थ मौजूदा मूल पेंशन=₹ 100)	1.5 (संशोधित पेंशन=₹ 150)	2.06 (संशोधित पेंशन=₹ 206)	3.63 (संशोधित पेंशन=₹ 363)
2.	1.11.02 से 31.10.07 तक सेवानिवृत्त हुए स्टाफ (मौजूदा मूल पेंशन=₹ 100)	-	1.38 (संशोधित पेंशन=₹ 138)	2.44 (संशोधित पेंशन=₹ 244)
3.	1.11.07 से 31.10.12 तक सेवानिवृत्त हुए स्टाफ (मौजूदा मूल पेंशन=₹ 100)	-	-	1.76 (संशोधित पेंशन=₹ 176)

नोट: वास्तविक लाभ 1 मार्च 2019 से देय होंगे, जो इस तारीख से पहले की अवधि के लिए बकाया भुगतान के बिना होंगे।

रूपांतरण तालिका
प्रति वर्ष रु. एक की पेंशन के लिए रूपांतरण मूल्य।

अगले जन्म दिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य	अगले जन्म दिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य	अगले जन्म दिन पर आयु	परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित रूपांतरण मूल्य
17	19.28	40	15.87	63	9.15
18	19.20	41	15.64	64	8.82
19	19.11	42	15.40	65	8.50
20	19.01	43	15.15	66	8.17
21	18.91	44	14.90	67	7.85
22	18.81	45	14.64	68	7.53
23	18.70	46	14.37	69	7.22
24	18.59	47	14.10	70	6.91
25	18.47	48	13.82	71	6.60
26	18.34	49	13.54	72	6.30
27	18.21	50	13.25	73	6.01
28	18.07	51	12.95	74	5.72
29	17.93	52	12.66	75	5.44
30	17.78	53	12.35	76	5.17
31	17.62	54	12.05	77	4.90
32	17.46	55	11.73	78	4.65
33	17.29	56	11.42	79	4.40
34	17.11	57	11.10	80	4.17
35	16.92	58	10.78	81	3.94
36	16.72	59	10.46	82	3.72
37	16.52	60	10.13	83	3.52
38	16.31	61	9.81	84	3.32
39	16.09	62	9.48	85	3.13

टिप्पणी उपर्युक्त तालिका ;, पेंशनभोगी के अगले जन्मदिन पर उसकी आयु के संदर्भ में परचेज वर्षों की संख्या के अनुसार सूचित पेंशन का रूपांतरण मूल्य दर्शाता है । 58 वर्षों की आयु में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में रूपांतरित मूल्य, परचेज वर्ष 10.46 है और अतः यदि वह सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन से रु. 100/- रूपांतरित करता है तो उसे देय एकमुश्त राशि रु. $100 \times 10.46 \times 12 =$ रु. 12,552/- होगी ।